

विचार बिन्दु

उपदेश के बजाय कहीं ज्यादा हम करके सीखते हैं। –बर्क

विश्वसनीयता खोता चुनाव आयोग

भारतीय संविधान के अनुसार देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। इसीलिए, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है और सरकार के अधीन नहीं रखा गया है। उल्लेखनीय है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकार के सारे अधिकारी/कर्मचारी भी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में आ जाते हैं। सामान्यतया चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता को बनाए रखा है। यदा–

कदा, चुनाव आयोग से सत्ताधारी दल के पक्ष में निर्णय लेने के आरोप अवश्य लगे हैं।

इस प्रकार के आरोप दो परिस्थितियों में अधिक लगे हैं।

पहला, आदर्श आचार संहिता की सत्ता धारी दल के नेताओं द्वारा अवहेलना करने पर, चुनाव आयोग ने नरमी दिखाई, जबकि इसी प्रकार का उल्लंघन विपक्षी दलों द्वारा किए जाने पर निर्वाचन आयोग ने पूरी सख्ती के साथ विपक्षी दलों के नेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की है।

दूसरा, निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव के लिए तारीख तय करने की अधिसूचना जारी करते समय। देखा गया है कि चुनाव की अधिसूचना इस प्रकार जारी की जाती है कि सरकार को लोक लुभावनी घोषणाएं करने का पर्याप्त अवसर मिल जाए। हाल के कुछ वर्षों में इस प्रकार के आरोपों की संख्या में वृद्धि अवश्य हुई है। सत्ताधारी दल के नेताओं पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के संबंध में कार्रवाई करने के प्रश्न पर में चुनाव आयुक्तों में भी मतभेद हुए। ऐसे ही एक प्रसंग में तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा द्वारा अपनी असहमति व्यक्त करने के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से इस धारणा को बल मिला कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के इशारे पर काम कर रहा है।

इस परिप्रेक्ष्य और पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूचियों के विशेष गहन परीक्षण (स्पेशल इंटेन्सिव रिवीजन) की घोषणा 25 जून 2025 को की। घोषणा के साथ ही बिहार की मतदाता सूचियां के विशेष गहन परीक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि बिहार में चुनाव नवंबर 2025 में संभावित थे। समय की अत्यधिक कमी, बाढ़ की स्थिति और एस आई आर की वैधानिकता को लेकर कई राजनीतिक दलों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स तथा चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कीं ।

सुप्रीम कोर्ट में अनेक बार सुनवाई हुई और हर बार किसी–न–किसी बहाने से चुनाव आयोग तिथि बदलवाने में सफल रहा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन एस आई आर पर नहीं देने के कारण निर्वाचन आयोग एस आई आर की प्रक्रिया 25 जून से निरंतर चलती रही। कई स्वतंत्र पत्रकारों एवं टीवी संवाददाताओं द्वारा यह निरंतर दिखाया गया कि किस प्रकार बी एल ओ अपने ही स्तर पर मतदाताओं के हस्ताक्षर करके मतदाता सूची में नाम अंकन करने के लिए फॉर्म भर रहे थे। इनकी कोई रसीद भी मतदाताओं को नहीं दी जा रही थी। इन सबके प्रमाण सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने पर भी न्यायालय ने किसी प्रकार का स्थगन नहीं दिया। केवल यह निर्देश दिया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों के साथ ही ‘आधार’ की भी मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने पर विचार किया जाए। 31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई जिसमें लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम कट गए थे।

निर्वाचन आयोग के 25 जून के निर्देशों के अनुसार बिहार के सभी मतदाताओं को एक फॉर्म भरकर देना था। 2003 की मतदाता सूची में जिनके नाम नहीं थे उन्हें तो अपने एवं माता–पिता के भारत के नागरिक होने का प्रमाण भी देना था। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेजों की एक सूची प्रकाशित की, जिसमें न तो वोटर आईडी कार्ड सम्मिलित था, न ही आधार कार्ड। निर्वाचन आयोग ने एस आई आर के पीछे जो मुख्य कारण बताए, उनमें अवैध रूप से भारत में रह रहे मतदाता सूची में शामिल लोगों के नाम हटाना एवं सभी भारतीय नागरिकों के नाम को मतदाता सूची में सम्मिलित करना था।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता ने एस आई आर को मतदाता सूचियां के ‘शुद्धिकरण’ का नाम दिया। तीन माह में एस आई आर की प्रक्रिया को बिहार में जिस प्रकार निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया गया, उसको देखकर तो केवल यही कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करने के बजाय इसका ‘अशुद्धिकरण’ कर दिया है। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता के अनुसार एस आई आर का मुख्य उद्देश्य घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करना था।आज तक आयोग यह नहीं बता पाया कि जिन व्यक्तियों के नाम हटाए गए उनमें से कितने घुसपैठिए थे?

कई ऐसे लोगों के नाम अवश्य हटा दिए गए जो वैध रूप से भारत के नागरिक थे और कई वर्षों से मतदान में हिस्सा ले रहे थे। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में यहां तक कहा था कि यदि एक भी मामला हमें गलत मिला तो हम पूरी एस आई आर की प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। आगामी सुनवाई की तिथि पर थोमेन्द्र यादव ने 16 ऐसे व्यक्तियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जिन्हें मृत बनाकर उनके नाम काट दिए गए थे किंतु वे जीवित थे। इसी आधार पर, सुप्रीम कोर्ट चाहता तो एस आई आर की प्रक्रिया को रद्द कर सकता था, किंतु ऐसा नहीं किया गया।

पहली बार इस एस आई आर में नागरिकता सिद्ध करने की जिम्मेदारी मतदाताओं पर डाल दी गई।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता ने एस

आई आर को मतदाता सूचियां के

‘शुद्धिकरण’ का नाम दिया। तीन माह में

एस आई आर की प्रक्रिया को बिहार में

जिस प्रकार निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित

किया गया, उसको देखकर तो केवल यही

कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने

मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करने के

बजाय इसका ‘अशुद्धिकरण’ कर दिया है।

ड्राफ्ट सूची में हटा दिए गए थे। इसके अलावा लगभग 7 करोड़ अन्य मतदाताओं के लिए आधार को मान्य दस्तावेज माना अथवा नहीं, इस बारे में कोई चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं की।

कई ऐसे लोगों के नाम भी मतदाता सूचियां में शामिल हो गए जिनका नाम–पता स्पष्ट नहीं था। उनके नाम किस प्रकार सम्मिलित किए गए इसका भी कोई आधार स्पष्ट नहीं किया गया।

शायद यह इसलिए किया गया कि निर्वाचन आयोग को आशंका हुई कि यदि निर्धारित 11 दस्तावेजों में से किसी एक के आधार पर ही मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए, तो कुल मतदाताओं की संख्या 8 करोड़ से घटकर लगभग 6 करोड़ रह सकती थी। इस कारण अनौपचारिक रूप से, बीएलओ को आपाधापी में सभी नामों को सम्मिलित करने का एक प्रकार से अलिखित आदेश दे दिया गया। इसका परिणाम बीएलओ द्वारा की गई मनमानी के रूप में सामने आया। यह मनमानी, स्पष्ट है कि, सत्ताधारी दल के प्रभाव में ही की गई होगी।

ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि एक ही बी एल ओ द्वारा अनेक व्यक्तियों की तरफ से हस्ताक्षर करके नाम जुड़वाने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिए गए और ऐसे नाम जुड़ भी गए। अजीत अंबुभ जैसे पत्रकारों ने तो ऐसे कई वीडियो प्रक्रिया के आरंभिक दौर में ही प्रसारित कर दिए थे। चुनाव आयोग के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन से पहले ही 99.2% व्यक्तियों ने अपने फॉर्म भर कर दे दिए थे। बाढ़ के दौरान कैसे इतने लोगों के फॉर्म आ गए, यह आश्चर्यजनक है क्योंकि बिहार के लाखों लोग अन्य राज्यों में मजदूरी हेतु जाते हैं और शिक्षा का प्तर भी देश में सबसे कम है। अतः यह आशंका निर्मूल नहीं है। कि कई ऐसे व्यक्तियों के नाम जुड़ गए हैं जो मतदाता बनने के पात्र नहीं थे। एक अनुमान के अनुसार लगभग 40% व्यक्तियों ने ही 11 में से कोई एक दस्तावेज अपने फॉर्म के साथ जमा कराया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद अब तक चुनाव आयोग ने उन लोगों की सूची सार्वजनिक नहीं की है जिनके नाम अंतिम मतदाता लाभ में शामिल नहीं हो गए हैं। नाम काटने के कारण भी नहीं बताए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि लगभग 4 लाख ऐसे लोगों के नाम सम्मिलित हैं जिनके ने तो पते स्पष्ट हैं और न ही नाम।

यदि सुप्रीम कोर्ट पहली तिथि पर ही यह स्पष्ट रूप से निर्देश दे देता कि नागरिकता को जांचने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है और 11 दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता सिद्ध नहीं होती है, तो एस आई आर की प्रक्रिया तब ही रद्द कर दी जाती। यह पहली बार हो रहा है कि प्रत्येक उस मतदाता को भी फॉर्म भरकर देने की आवश्यकता पड़ रही है जिसने कई बार मतदान किया है।

बिहार की संभावित 8.28 करोड़ वयस्क जनसंख्या को तुलना में 7.42 करोड़ व्यक्तियों के नाम ही अंतिम मतदाता सूची में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। यह संभव है कि लाखों ऐसे लोगों के नाम छूट गए हों जिनके नाम इसमें होने चाहिए थे और इसी प्रकार से लाखों ऐसे लोगों के नाम जुड़ गए हों जिनके नाम नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि सारा काम अत्यंत जल्दबाजी में किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया और प्रक्रिया को जारी रखने दिया। अब सुप्रीम कोर्ट अगली तिथि पर शायद यही कहेगा कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है तिथियां निर्धारित हो चुकी हैं, मतदाता सूची अंतिम हो चुकी है, अतः इसमें अब किसी प्रकार का दखल देना संभव नहीं है। क्या इस प्रकार की स्थिति न्याय और निष्पक्षता की दृष्टि से सही कही जा सकती है? पहले तो आप समय पर निर्णय न करें और बाद में यह कह दें कि अब बहुत विलंब हो चुका है और कुछ नहीं किया जा सकता।

यदि वास्तव में निर्वाचन आयोग ने भारतीय मतदाताओं की नागरिकता जांच के पश्चात उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए हैं, तो क्या भारत सरकार यह स्पष्ट करेगी कि जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में हैं उन सबको भारतीय मान लिया जाएगा और उसके आधार पर उन्हें भारतीय नागरिक को मिलने वाली सभी सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी? क्या जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, वे भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे एवं क्या उन्हें भारतीय नागरिक को मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाओं और अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा? जब तक इस प्रश्न का उत्तर चुनाव आयोग और भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाएगा तब तक एस आई आर के उद्देश्य और इसकी परिणति पर शंका के बादल मंडराते रहेंगे।जनता की यही लगेगा कि मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के नाम पर की गई कवायद ने मतदाता सूचियां के ‘अशुद्धिकरण’ का ही काम किया है।

निर्वाचन आयोग को अपने हर गलत काम का बचाव करने के स्थान पर एक खुला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए अपनी गलतियों में परिवर्तन करना चाहिए था। ऐसा नहीं करने से ही इस धारणा को बल मिला कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नहीं, अपितु सत्ताधारी दल के राजनीतिक लाभ के लिए सभी निर्णय ले रहा है। यह स्थिति लोकतंत्र के मूल स्वरूप पर आघात करने वाली होगी क्योंकि देश में निष्पक्ष चुनाव की प्रथम आवश्यकता मतदाता सूचियों का होना है। देखते हैं, आगामी तिथि पर सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय लेता है? लगता तो ऐसा ही है कि योगेंद्र यादव, विभिन्न वकीलों के तर्कों का हथ्र वैसा ही हुआ जैसे “भैस के आगे बीन बजाना”। निर्वाचन आयोग को यदि अपनी पुरानी छवि को पुनः प्राप्त करना है तो उसे खुले मन से चर्चा हेतु तैयार रहना होगा और निष्पक्षता का पूरी तरह सार्वजनिक प्रदर्शन भी करना होगा। यदि ऐसा कर पाया तो निर्वाचन आयोग अपनी खोई हुई विश्वसनीयता को पुनः प्राप्त करने में सफल हो पाएगा।

–अतिथि सम्पादक,

राजेन्द्र भागवत (

पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



अशोक कुमार

राजस्थान के विश्वविद्यालयों के वित्तीय संकट का विश्लेषण करने के लिए, हमें इसकी आय और व्यय दोनों को समझना होगा, साथ ही उन चुनौतियों पर भी गौर करना होगा जो इसे एक स्थायी वित्तीय संकट की ओर धकेल रही हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय की

आय के मुख्य स्रोत हैं:–

छात्र शुल्क : यह विश्वविद्यालय की आय का एक बड़ा हिस्सा होता है। हालांकि, सरकारी नीतियों के कारण, कुछ वर्गों के छात्रों को फीस में छूट मिलती है, जिससे विश्वविद्यालय की आय प्रभावित होती है। विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के बाद से ही राज्य सरकार पर निर्भर रहा है। हालांकि, पिछले कुछ सालों में सरकार द्वारा मिलने वाला अनुदान स्थिर रहा है या कम हुआ है, जबकि विश्वविद्यालय के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, कुछ आय संपत्ति से ब्याज,

यथार्थ से रूबरू कराता एक दिवा स्वप्न : “अंग्रेजी में लिखी पंक्तिओं ‘फुट प्रिंट्स’ पर आधारित, हिंदी अनुवाद”



प्रो. वीर बहादुर सिंह

किसी व्यक्ति ने एक स्वप्न देखा

कि वह ईश्वर के साथ मित्रतापूर्वक सैर करने समुद्र के किनारे जा रहा है। दोनों ने बड़ी घनिष्ट वार्तालाप करते काफी दूरी तय कर ली।

भक्त ने प्रभु से पूछा कि–“आप मेरे साथ कहाँ तक चलेंगे?” प्रभु का उत्तर–“जहाँ तक तुझे जाना है वहाँ तक!” भक्त बहुत प्रसन्न हुआ और चलते–चलते भक्त की गीली रेत में पीछे कभी–कभी देखता जाता वह खुश होता यह देखकर कि हम दोनों के पद चिन्ह रेत में पीछे दिख रहे हैं। भक्त को अहसास हुआ कि अच्छा है प्रभु मेरे साथ हैं।

आगे कुछ दलदल और कंटकापूर्ण स्थान आया जहाँ से सुगमता से पार जाना मुश्किल था, भक्त ने बड़ी कठिनाई से वह कठिन डगर पर की और पीछे मुड़कर देखा तो उसे केवल एक ही पद चिन्ह दिखाई दिए। भक्त बहुत निराश हुआ और सोचा कि मेरे साथी तो कठिन मार्ग आते ही सारा छोड़ गए।

इसी उधेड़बुन में भक्त ने फिर कुछ सुगम दूरी तय की तो उसने देखा कि अब फिर से दो लोगों के पद चिन्ह बन रहे हैं। अतः तो भक्त ने किशायत भरा उलाहना दिया और प्रभु से बोला

आगे कुछ दलदल और कंटकापूर्ण स्थान आया जहाँ से सुगमता से पार जाना मुश्किल था, भक्त ने बड़ी कठिनाई से वह कठिन डगर पर की और पीछे मुड़कर देखा तो उसे केवल एक ही पद चिन्ह दिखाई दिए। भक्त बहुत निराश हुआ और सोचा कि मेरे साथी तो कठिन मार्ग आते ही सारा छोड़ गए। इसी उधेड़बुन में भक्त ने फिर कुछ सुगम दूरी तय की तो उसने देखा कि अब फिर से दो लोगों के पद चिन्ह बन रहे हैं। अतः तो भक्त ने किशायत भरा उलाहना दिया और प्रभु से बोला

से बिना दस्तावेज के रह रहे इस परिवार को अब अपने घर पर कानूनी अधिकार मिला। शिविर में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीयन भी किए गए, जिससे वृद्धजनों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। युवाओं के लिए पंचायत ने खेल मैदान निर्माण की घोषणा कर भविष्य के प्रति विश्वास जगाया।

हनुमानगढ़ तहसील के 22–23 एनडीआर ग्राम पंचायत निवासी मोमन राम व भेरा राम जैसे गरीब परिवार अब खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित हो गए हैं। वर्षों से सरकारी अनाज से वंचित थे परिवार अब नियमित रूप से गेहूँ प्राप्त कर रहे हैं।

नोहर तहसील के ढंढेला गाँव के कालुराम वर्मा से अपने घर के स्थायित्व को लेकर परेशान थे। स्वामित्व योजना के तहत ङुन सर्वे से भूमि का डिजिटल नक्शा बना और उन्हें आवासीय स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। आज वे बैंक से ऋण भी ले पा रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी।

कालूराम कस्ते हैं, यह प्रमाण पत्र नहीं, आत्मसम्मान का प्रतीक है। पीलीबंगा तहसील के प्रेमपुरा ग्राम

मेष
घर–परिवार में सुख–सुविधाएं बनी रहेंगी। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन
आर्थिक कारणों से अटकें हुए कार्य बने लगेगें। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।

कर्क
घर–परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में कार्य पर धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी।

उठाना चाहिए?

सामाजिक सुरक्षा का दायित्व: पेंशन कर्मचारियों की जीवन भर की सेवा का प्रतिफल है और यह उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।यह सरकार का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक पेंशन प्रदान करे।

समानता का सिद्धांत: जब राज्य सरकार अन्य विभागों के कर्मचारियों (जैसे पुलिस, शिक्षा विभाग, आदि) को सीधे पेंशन देती है, तो विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के साथ भी यही नीति लागू होनी चाहिए। पेंशन नीतियों में यह दोहरा मापदंड कर्मचारियों के बीच असंतोष पैदा करता है।

विश्वविद्यालयों पर वित्तीय बोझ कम करना: यदि सरकार पेंशन का भुगतान करती है, तो विश्वविद्यालयों पर पड़ने वाला एक बड़ा वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। इससे विश्वविद्यालय अपनी आय का उपयोग छात्रों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, अनुसंधान और शैक्षिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में कर सकेंगे, जैसा कि आपने पहले उल्लेख किया था।

राज्य की प्रतिष्ठा: जब सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारी पेंशन के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, तो इससे राज्य की प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ता है। सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों को राहत देगा, बल्कि राज्य की छवि को भी सुधारेगा।

समाधान की राह: सरकार को

विश्वविद्यालय की 25 प्रतिशत आय में कटौती बंद करनी चाहिए और वंचित वर्ग के छात्रों की फीस सीधे विश्वविद्यालय को देनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार करती है। विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने के लिए स्व–वित्तपोषण पादयक्रम शुरू करने चाहिए, अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, और उद्योगों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। वि.वि.को अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए, विशेषकर गैर–आवश्यक खर्चों को कम करके।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार को अन्य राज्यों के समान विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों की पेंशन का पूरा दायित्व उठाना चाहिए। यह न केवल वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण कदम है, बल्कि यह न्याय, समानता और सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों के भी अनुरूप है। यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जब तक इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक राजस्थान के विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना बहुत मुश्किल होगा। यह न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि राज्य की उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

–अशोक कुमार,

पूर्व कुलपति, कानपुर एवं

गोरखपुर वि.वि.,

“अंग्रेजी में लिखी पंक्तिओं ‘फुट प्रिंट्स’ पर आधारित, हिंदी अनुवाद”

कि देख ली आपकी प्रतिज्ञा। प्रभु बोले क्यो क्या हुआ, भक्त ने कहा–“जब कठिन डगर आयी तो आप मेरा साथ छोड़ कर भाग लिए!” प्रभु ने पूछा कैसे? भक्त बोले, जैसे ही मार्ग कठिन आया, जिस मैंने अपने पूरे मनोबल और संघर्ष से पार किया और पीछे मुड़ कर देखा।

तो उस कंटिका पूर्ण राह पर केवल मेरे ही पदचिन्ह थे। प्रभु बोले–“मूर्ख, वो एक पद चिन्ह केवल मेरे थे उस कठिन डगर पर मैंने तुझे अपने कंधे पर बिठा लिया था क्योंकि तू उस कठिन रास्ते को पार करने में असमर्थ हो रहा था। तो फिर पद चिन्ह तेरे कैसे बनते?”

भक्त सोच में पड़ गया और फिर सावचेत मुद्रा में आने पर प्रभु से अपने अज्ञान के लिए पश्चाताप कर क्षमा मांगी। सारांश ये है कि बिना ईश्वर कृपा के मनुष्य, जीवन में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। सम्पूर्ण जीवन संघर्षमय, मुसीबतों और कठिनाइओं से कार्य करता है। तब ही प्राणीओं के जीवन में भी ऐसा ही है। अतः विश्वास के साथ ईश्वर को सदैव साक्षी मान कर जीवन को जियो।

–प्रो. वीर बहादुर सिंह, डेरी एंड खाद्य विज्ञ, उदयपुर

कलेम की जानकारी ली, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पशुपालन विभाग की टीम ने शिविर में मौके पर ही पशुपालक जयकरण को उनकी ऊंटनी के बीमा के अंतर्गत 40 हजार रुपए की कलेम राशि उनके बैंक खाते में जारी होने का कलेम स्टेटमेंट सौंपा।

हनुमानगढ़ और चूरू जिले में अभियान की ये सफलताएं राज्य के प्रत्येक जिले, उपखंड और ग्राम पंचायत की सफलता की कहानियां हैं। सेवा शिविर इस बात कर प्रमाण है कि राजस्थान सरकार की जनसेवा, जनकल्याण और जनविप्लव की नीति सिर्फ नारों में नहीं, ज़मीन पर उतर चुकी है। सेवा शिविरों ने यह साबित कर दिया है कि जब सरकार घर–घर सेवा के भाव से कार्य करती है, तब हर नागरिक को न केवल उसका अधिकार मिलता है बल्कि आत्मसम्मान और विश्वास भी लौट आता है।

–ईशा सैनी, एपीआरओ,

राजस्थान सरकार

सिंह
घर–गृहस्थी के खर्चों में सुविधाएं बनी रहेंगी। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

धनु
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। घर–परिवार कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। खान–पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

तुला
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

कुंभ
विवादिता मामलों से राहत मिल सकती है। अकेले हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्य के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।

वृश्चिक
धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। धार्मिक–मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
घर–परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

मीन
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। सुख–सुविधाएं बढ़ेंगी।